फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

सुरज्ञान कंवर बनाम भागचंद जांगिड

दीवानी वाद संख्या 24/14

सीआईएस संख्या 1538/14

तारीख	हुक्त या कार्रयवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.02.2026	श्री विमल सिंह बाफना, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उपस्थित। श्री अब्दुल मजीद विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। इस आदेश द्वरा प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दीवानी दिनांकित 31-10-2025 का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने वाद के मूल आधार वादपत्र के पैरा संख्या 7 लगायत 12 में वर्णित किए है। प्रतिवादी संख्या 01 वादिया संख्या 01 का सगा भाई है व वादीगण संख्या 2 लगायत 3 का सगा मामा हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने इन संबंधों का फायदा उठाकर व दुहाई देकर वादीगण से यह झूठी प्रवंचना करके कि वह संपत्ति उनके नाम करवा रहा है, धोखे से हक त्याग प्रलेख दिनांक 25-01-2010 एवं 12-03-2014 को निष्पादित करवा लिये। वादिया संख्या 01 अनपढ़ महिला है, जिसने बिना पढ़े ही हक त्याग प्रलेख पर हस्ताक्षर कर दिये। इस संबंध में यदि ऐसे विश्वासिक संबंधों के मद्देनजर विवादित दस्तावेजात निष्पादित कराये जाते है तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित सिद्धांतों के अनुसार यह साबित करने का भार प्रतिवादी पर होता है कि उसने यह दस्तावेजात सामान्य अनुक्रम में सामान्य परिस्थितियों में एवं निष्पादनकर्ता के ज्ञान में रहते हुए निष्पादित करवाये हैं। इस न्यायालय द्वारा जो तनकियात दिनांक 16-07-2022 को विरचित की गई है, उक्त में से तनकी संख्या 02 का भार वादीगण पर डाला गया है। जिस तनकी संख्या 02 को हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार संशोधित कराया जाना हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत	

निस्तारण हेतु आवश्यक है एवं इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 01 पर डाला जाना ही न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तनकी संख्या 02 में वांछित संशोधन किया जाकर इसे साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर डाला जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए-

1- SLP(CIV)NO 3506/2019 Sonmati Devi & Ors vs Mahendra Vishwakarma & Ors. Order dated 15-09-2021 Supreme Court

2- 2006 SAR (Civil)441 SC Anil Rishi vs Gurbaksh Singh

3- WLC (Raj) 2006(4) 500 Kanha vs Kalu & Ors

4- 2003 SAR (Civil) 760 SC Krishna Mohan Kul @ Nani Charan Kul and Anr vs Patima Maity and Ors.

5- AIR1982 ALL 376 Daya Shankar vs Smt Bachi And Ors

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतिम बहस के स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। इससे पूर्व भी इसी प्रकृति के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिन्हें न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज भी किया जा चुका है। प्रार्थीगण/वादीगण का एक मात्र उद्देश्य हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियों को विलंबित करना है। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो संशोधित तनकी बनाये जाने की प्रार्थना की गई है, वह संशोधित तनकी न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकी संख्या 02 में ही समाहित है। धारा 111 साक्ष्य अधिनियम का कोई लाभ वादीगण इस स्तर पर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण को स्वयं को अपने वादपत्र को साबित करना है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकी पूर्णतया सही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

हस्तगत प्रकरण में जो न्यायिक दृष्टांत प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं उन न्यायिक दृष्टांतों के ससम्मान अवलोकन से

यह स्पष्ट है कि जहां पक्षकारों के बीच विश्वासपूर्ण संबंध हो एवं वे सक्रिय विश्वास की स्थिति में हो तो ऐसे प्रकरणों में सबूतो का भार उस व्यक्ति पर डाला जावेगा, जिस व्यक्ति के उपर सक्रिय विश्वास होना बताया गया है एवं उसने उस दस्तावेज से लाभ प्राप्त किया है। इस संबंध में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करें तो प्रार्थीगण ने वादिया संख्या 01 को अनपढ़ महिला होना बताया है। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 ने वादिया संख्या 01 को शिक्षित महिला होना बताया है। रिलीज डीड के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि इस रिलीज डीड पर वादिया संख्या 01 द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए हैं, जिन हस्ताक्षरों के अवलोकन से भी वादिया का अनपढ़ महिला होना प्रतीत नहीं होता है। वादपत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिया संख्या 01 एक 52 वर्षीय विवाहित महिला है। इसके अतिरिक्त शेष वादीगण भी शिक्षित व्यक्ति है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ निवास नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सक्रिय व विश्वासपूर्ण संबंधों में है। इसके अतिरिक्त यह जो हक त्याग विलेख निष्पादित किए गए है वह हक त्याग विलेख उप पंजीयक कार्यालय द्वारा विधिनुसार पंजीबद्ध किए गए है। हस्तगत प्रकरण के वादीगण इस न्यायालय के समक्ष यह दर्शित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी संख्या 01 के उपर उनका इस कदर सक्रिय विश्वास था कि उन्होंने इन पंजीबद्ध दस्तावेजों को बिना पढ़े-सुने व समझे ही हस्ताक्षर कर दिया। इस न्यायालय के मत में एक शिक्षित व्यक्ति से यह भी आशा व अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसने किसी अचल संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बिना पढ़े-सुने ही हस्ताक्षर कर दिया हो। इसके अतिरिक्त यह दस्तावेजात विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध किए गए है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों से यह दर्शित नहीं होता है कि उन्होंने उक्त दस्तावेजों को बिना पढ़े-सुने व समझे प्रतिवादी संख्या 01 से सक्रिय व विश्वासपूर्ण संबंध होने के कारण हस्ताक्षर किया हो।

यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय द्वारा तनकियात दिनांक 16-07-2022 को विरचित की गई, उसके पश्चात साक्ष्य वादी के स्तर पर प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05-02-2024 को प्रस्तुत किया गया, जिस प्रार्थना पत्र को वादीगण ने दिनांक 08-07-2024 को नोट प्रेस से खारिज करवा लिया एवं उसके पश्चात वादीगण ने अंतिम बहस के स्तर पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5

जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया, जिस प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 20-09-2025 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। तत्पश्चात वादीगण ने लिखित अंतिम बहस दिनांकित 13-10-2025 को प्रस्तुत कर दी एवं उसके पश्चात यह हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 31-10-2025 को प्रस्तुत किया। इतनी देरी से इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कोई न्यायसंगत कारण प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में अंकित नहीं किया है। इस न्यायालय के मत में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अंतिम लिखित बहस प्रस्तुत किए जाने के पश्चात हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि प्रार्थीगण/वादीगण का एकमात्र उद्देश्य हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियों को विलंबित करना है। यह प्रकरण इस न्यायालय का सबसे पुराना प्रकरण संख्या 05 है एवं पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के कोई न्यायसंगत कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जो संशोधन तनकी संख्या 02 में चाहा गया है, वह संशोधन न्यायालय द्वारा विरचित की गई तनकी संख्या 02 में ही समाहित है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र पांच सौ रूपये कोस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। कोस्ट राशि प्रतिवादी संख्या 01 को अदा की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 16-02-2026 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.02.05 15:58:43 +0530